न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:– श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या :– 28/2021

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थी:–
1. भेराराम पुत्र किशनाराम जाति कुम्हार, निवासी गुड़िया, तह0 रायपुर राज0।		1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति:–

1. श्री गजेन्द्र परिहार अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 22..03.2022

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक विविध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सिंगपुरा, पटवार हल्का करमावास, तहसील सोजत के खसरा नम्बर 161 रकबा 0.5100 हैक्टर, खसरा नम्बर 162 रकबा 0.6000 हैक्टर, खसरा नम्बर 169 रकबा 0.4100 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में प्रार्थी का 1/3 हक हिस्सा की कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है। प्रार्थी के पिता किशना वल्द धुला के फौत होने पर नामान्तकरण संख्या 56 के जरिये फौतेदगी नामान्तकरण भरा गया, जिसमें भेराराम वल्द किशना सही दर्ज किया गया। तत्पश्चात् उक्त म्युटेशन का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2042 से 2045 में तत्कालीन पटवारी हल्का करमावास द्वारा अमल दारामद करते वक्त भुलवश भेराराम वल्द किशना के स्थान पर भोमाराम पुत्र किशनाराम दर्ज कर दिया। तत्पश्चात् आज दिन तक राजस्व रेकर्ड जमाबन्दीयों मे गलत अंकन भोमाराम वल्द किशनाराम दर्ज चला आ रहा है। जबकि प्रार्थी का वास्तविक एवं सही नाम भेराराम वल्द किशनाराम ही है। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का गलत एवं सेवन से दर्ज भोमाराम वल्द किशनाराम दर्ज हो जाने से प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि से संबंधित सरकारी योजनाओं, कृषि ऋण, किसान कार्ड बनाने आदि मे भारी असुविधा व कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी के नाम से आधार कार्ड, परिवार कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि बने हुए है, जिसमें प्रार्थी का नाम भेराराम पुत्र किशनाराम दर्ज है, जो सही है। प्रार्थी बी.एस.एन.एल. सरकारी नौकरी में फालना में कार्यरत था, अब सेवानिवृत होने पर प्रार्थी ने हाल ही कृषि ऋण प्राप्त करने हेतु सम्पर्क किया तो जानकारी में आया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में गलती एवं सेवन से भोमाराम वल्द किशनाराम दर्ज है। जिससे पूर्व प्रार्थी को राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन की कोई जानकारी नहीं थी। जिस पर प्रार्थी तहसीलदार सोजत के समक्ष उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

[illegible]सीलदार सोजत ने प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में धारा 136 रेकर्ड दुरुस्ती [illegible]वा पेश करने हेतु कहा। इसलिए यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में धारा 136 आर.एल. आर. एक्ट का नाम शुद्धिकरण का पेश है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर प्रार्थना पत्र में उक्त वर्णित खसरात की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम भोमाराम वल्द किशनाराम के स्थान पर भेराराम पुत्र किशनाराम शुद्धि किए जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब कर तहसीलदार सोजत से उक्त विवादित आराजी की वर्तमान राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति की रिपोर्ट चाही गई। जिस पर तहसीलदार सोजत ने अपने पत्रांक/राजस्व/2021/98 दिनांक 07/01/2022 द्वारा रिपोर्ट पेश की। उक्त रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा अंकित किया है कि मिसल बन्दोबस्त सं0 2033 से 52 के खाता सं0 3 में प्रार्थी के पिता किशना वल्द धुला एवं अन्य सहखातेदार के नाम सिंगपुरा के खसरा नम्बर 161, 162, 169 कुल खसरा 3 कुल रकबा 1.52 किस्म बारानी द्वितीय दर्ज थी। उक्त रेकर्ड के आधार पर सम्वत् 2042–2045 में जमाबंदी तहरीर हुई उक्त जमाबन्दी में भी प्रार्थी भेराराम के पिता के नाम किशना पुत्र धुला, पूना वल्द रुगा, मोहन पुत्र धना जाति कुम्हार सा0 गुड़िया खातेदार दर्ज की गई। प्रार्थी के पिता की मृत्यु होने पर नामा0 संख्या 56 भरा गया। उक्त नामा0 बतौर विरासत प्रार्थी के नाम भेराराम पुत्र किशनाराम जाति कुम्हार के नाम स्वीकृत हुआ। पटवारी हल्का द्वारा जमाबंदी सम्वत् 2042–2045 के खाता संख्या 3 में अमल दारामद सेवन से भोमाराम पुत्र किशनाराम दर्ज कर दिया गया। जिससे नई जमाबंदी बनाते समय प्रार्थी का नाम भेराराम के स्थान पर भोमाराम दर्ज किया गया तब से आज तक राजस्व रेकर्ड में भोमाराम पुत्र किशनाराम चला आ रहा है। वास्तव में लिपिकीय भूलवंश स्वीकृत सुदा नामा0 संख्या 56 अनुसार इन्द्राज नहीं हुआ है। जिससे प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 161, 162, 169 में प्रार्थी का नाम भोमाराम पुत्र किशनाराम के स्थान पर भेराराम वल्द किशनाराम दर्ज किया जाना न्यायोचित होना अंकित किया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र, मिसल बन्दोबस्त सं0 2033 से 52, ना0 सं0 56 तथा जमाबंदी सम्वत् 2042–2045, 2046–49 तथा 2074 की प्रमाणित छायाप्रतियां पेश की है, सा0मि0 है। तहसीलदार सोजत मय पटवारी हल्का रिपोर्ट राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत, सा0मि0 की गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र में वर्णित कृषि भूमि मौजा सिंगपुरा में खसरा नम्बर 161 रकबा 0.5100 हैक्टर, खसरा नम्बर 162 रकबा 0.6000 हैक्टर, खसरा नम्बर 169 रकबा 0.4100 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 1.52 हैक्टर बा0दो0 कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम ना0सं0 56 में सही नाम भेराराम अंकित है, परन्तु जमाबंदी में गलती से भोमाराम वल्द किशनाराम दर्ज हो गया। प्रार्थी ने उक्त कृषि भूमि के राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

से दर्ज नाम भोमाराम वल्द किशनाराम के स्थान पर भेराराम पुत्र ...राम शुद्ध दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर उपस्थित तहसीलदार/लैण्ड होल्डर/सोजत को कोई आपति नही होना बहस के दौरान व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, जबाब प्रा0 पत्र साक्ष्य सबूतों दस्तावेजात तथा उक्त विवादित भूमि से सम्बद्ध प्रा0 पत्र में वर्णित उक्त तथ्यों की ताईद में ना0सं0 56 तथा जमाबन्दियों का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस उभय पक्षों पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट से प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम भोमाराम के स्थान पर भेराराम होने की पुष्टि होती है। लिहाजा प्रा0 पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्त विवादित सरहद मौजा सिंगपुरा में खसरा नम्बर 161 रकबा 0.5100 हैक्टर, खसरा नम्बर 162 रकबा 0.6000 हैक्टर, खसरा नम्बर 169 रकबा 0.4100 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 1.52 हैक्टर बा0दो0 कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम गलत रूप से दर्ज भोमाराम वल्द किशनाराम के स्थान पर भेराराम पुत्र किशनाराम दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

सोजत

–:आदेश:–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम सिंगपुरा में खसरा नम्बर 161 रकबा 0.5100 हैक्टर, खसरा नम्बर 162 रकबा 0.6000 हैक्टर, खसरा नम्बर 169 रकबा 0.4100 हैक्टर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज भोमाराम वल्द किशनाराम के स्थान पर भेराराम पुत्र किशनाराम शुद्ध दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत